धारा 8 : कर से छूट प्रदान करने की शक्ति

(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा साधारणतया पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश की परिधि या उसके लागू किये जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश के जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा, मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, यथास्थिति, अधिसूचना या आदेश समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से कोई छूट दी गई है,
वहां माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।